छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी, 2009

(माघ - 23, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 6, 8, 10, 11, 12 एवं 14 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 7, 9 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, धर्मजीत सिंह एवं रामदयाल उइके अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 13 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. व्यवस्था

तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में प्राप्त संलग्न परिशिष्ट में जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि-शासन हिंदी में परिशिष्ट मुद्रित करा कर उपलब्ध कराए।

3. अशासकीय संकल्पों के लिये समय निर्धारण की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित दो अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया गया :-

अशासकीय संकल्प का संक्षिप्त विषय	सदस्य का नाम	आबंटित समय
1. छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, धुएं एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कारगर कार्यवाही।	श्री देवजी भाई पटेल	1 घंटा 15 मिनट
2. बस्तर में बहने वाली इंद्रावती नदी में पानी की युक्तियुक्त व्यवस्था।	डॉ.सुभाऊ कश्यप	1 घंटा 15 मिनट

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने प्रदेश के किसानों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर के आवासीय क्षेत्रों में क्रेशर संचालित होने से पर्यावरण प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5 याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार महंत रामसुंदर दास, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने विकासखंड-पंडरिया के ग्राम-पटुवा में छोटी माता (चिकनपॉक्स) का प्रकोप होने,

(2) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरिया, विकासखंड-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर चांपा के भवन निर्माण संबंधी,

(3) श्री रामपुकार सिंह, सदस्य ने जिला-जशपुर, विकासखंड-पत्थलगांव में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शासकीय भूमि पर व्यवस्थापक द्वारा अतिक्रमण करने,

(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने क्रेशर उद्योग से प्रदूषण, तथा

(5) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने जिला-धमतरी में बारदाना के अभाव होने,
संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

7. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 26, पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 एवं राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या 28 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, रामदेव राम, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, भोलाराम साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, लेखराम साहू, गुरू रुद्र कुमार एवं परेश बागबाहरा, **मांग संख्या-67 पर** महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री भोलाराम साहू, **मांग संख्या-76 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-27 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, भोलाराम साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अग्नि चंद्राकर, गुरू रुद्र कुमार एवं लेखराम साहू, **मांग संख्या-51 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-26 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-37 पर** महंत रामसुंदर दास, श्री भोलाराम साहू एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-28 पर** महंत रामसुंदर दास, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री नारायण चंदेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, देवजी भाई पटेल, बोधराम कंवर,

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री दयालदास बघेल, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सर्वश्री रामपुकार सिंह, संतोष बाफना, परेश बागबाहरा, भोलाराम साहू, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लखमा कवासी, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री दीपक कुमार पटेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, दूजराम बौद्ध, रामदेव राम, गुरू रुद्र कुमार, डॉ.शक्राजीत नायक।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर श्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-5 पर** श्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-17 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से गृह विभाग की मांगों पर दोनों पक्षों के एक-एक सदस्य का भाषण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री नंदकुमार पटेल सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

रात्रि 7.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009 (माघ 24, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा